

14-5-18

पक्रावती आज मुख्य कोर्ट अदालत में पेश
की प्रकरण के संबंधित वाद पत्र का विषय
है मुदा कि प्र.पत्र अर्थात् निवेद्याशा की
जाती रखने का कोई औचित्य नहीं है
कतः प्र.पत्र अर्थात् निवेद्याशा की कार्यवाही
इसी स्तर पर खारीज की जाती है पक्रावती
कैलाल अमार देवर नरवर है कत है तथा
पक्रावती दाखिल दफ्तर है

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवादी (मुन्मुन)